मामलों में योजनाओं के मसौदे विचारार्थ हैं जबकि 25 मामले जांच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। योजना के तहत औद्योगिक कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए राहत/रियायत/सहायता बैंकों, संस्थाओं, केन्द्र तथा राज्य सरकारों आदि द्वारा दी जाती हैं और बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराता है।

कालेधन की समाप्ति के लिये योजनाएं

152. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कालेधन का पता लगाने के लिये बनाई गई सभी योजनाएं विफल रही हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कालेधन का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई और उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान कालेधन की कितनी राशि का पता लगाया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। काले धन का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक निक्षेप) स्कीम, 1991 के नाम से एक योजना, स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 (1991 का 47) के तहत गत वर्ष पहली अक्तूबर, 1991 को शुरू की गई थी जिसे 31 जनवरी, 1992 को बंद कर दिया गया है। बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, योजना के तहत एकत्रित जमा राशियां 105.26 करोड़ रुपए (अंतिम) हैं। इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान, एक "सर्वक्षमा योजना" (अमैनिस्टि स्कीम) लागू थी, जिसके तहत आयकर निर्धारितियों को आयकर अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी आय तथा अग्रिम कर अनुमानों की वार्षिक विवरणियों में सही आय को घोषित कर ब्याज की माफी तथा दण्ड न दिए जाने के लाभ का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि उस "सर्वक्षमा योजना" में एक अलग विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं था, इसलिए आय को घोषित रकम के बारे में आंकड़े तैयार करना सम्भव नहीं है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन पकड़े गये व्यक्ति

153. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 18 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा को गैर-कानूनी रूप से देश से बाहर भेजने के आरोप में 11 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) 16 करोड़ रु० की राशि के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में लिप्त ग्यारह व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश जारी किए गए थे। चूंकि आदेश समय पर लागू नहीं किए गए अतः नजरबन्दी आदेश संबंधित व्यक्तियों को तामील नहीं किए गए थे और कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया किन्तु वर्ष 1986 में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां आरम्भ की गईं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी

154. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में राज्यवार धोखाधड़ी के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) उससे राज्यवार कितनी हानि हुई;

(ग) कितने बैंक अधिकारियों को इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया; और

(घ) बैंकों में धोखाधड़ी को होने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विद्यमान प्रबंध सूचना प्रणाली से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार बैंक धोखाधड़ियों की सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, वर्ष 1990 और 1991 (जून तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई जानकारी के अनुसार भारत में धोखाधड़ी के क्रमशः 1614 और 757 मामले थे।

(ग) वर्ष 1990 के दौरान 82 कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया, 738 कर्मचारियों को धोखाधड़ी में लिप्त

होने के कारण, चाहे वह घटना कभी घटी हो, बड़ा/छोटा दण्ड दिया गया।

(घ) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक धोखाधड़ी की घटनाओं का शीघ्रता से पता लगाने के लिए कार्रवाई करते हैं। इनमें कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(i) निरीक्षण, लेखापरीक्षा और आवधिक विवरणों के माध्यम से बैंकों द्वारा नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना;

(ii) निरंतर आधार पर बहियों के समायोजन और अन्तर-शाखा लेखों के समाधान के बकाया को निपटाना;

(iii) अन्य बैंकों से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति।

(iv) धोखाधड़ी की बड़ी घटनाओं की जांच और उनकी संवीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष की स्थापना।

(v) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को चेतावनी नोटिस जारी करना।

(vi) प्रचालन कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना।

(vii) भ्रष्टाचार निवारक उपायों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों द्वारा संगठित प्रयास करना।

(viii) सतर्कता के मामलों की बैंकों के निदेशकों की समिति और निदेशक मण्डलों द्वारा समीक्षा करना।

Government Expenditure on Subsidies

155. **SHRI SHIV PRATAP MISHRA**: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 49.3 per cent of the Central Government expenditure accounts for various subsidies; and

(b) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) Of the total non-Plan revenue expenditure of Rs. 25720 crores after providing for interest charges and defence current expenditure, subsidies consume Rs. 11000 crores in the Budget for 1991-92.

(b) It is always the endeavour of the Government to keep down the expenditure on subsidies to the minimum level possible, so as to curtail the burden on the exchequer. Towards this end, the schemes for CCS, and export credit have been discontinued. Some price adjustments have also been made in respect of certain commodities to reduce the draft on the Budget and release resources for development.

Use of Staff car by Government Officials

156. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Central Government officers of the rank of Joint Secretary and above are allowed the use of staff cars for attending office and also to avail of staff car facility for private use by paying nominal fee;

(b) whether Government have made any assessment of the expenditure incurred on petrol as a result thereof during the years 1986 to 1991;

(c) whether Government propose to withdraw this facility; if so, by when; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) to (d) Officers of the rank of Joint Secretary and above are permitted use of staff car for journeys from residence to office and back on payment at prescribed rates. Joint Secretaries and Additional Secretaries are not permitted the use of staff car for private purposes. Only officers of the rank of Secretary are permitted use of staff car on payment at the prescribed rate. Use of staff cars for Government Officers is governed by the Staff Car Rules. No staff car is ear-marked for exclusive use of any officer. The staff cars form a pool and are deployed according to availability and requirement. Thus it is not possible to maintain separate record of expenditure exclusively for each officer for journeys between office and residence and *vice versa*. The expenditure towards petrol/